एम. एम. पुंछी और उजागर सिंह से पहले,

जे.जे. हरियाणा चावल मिलें और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 8811

6 अक्टूबर 1988

भारत का संविधान, 1950-कला. 14 और 19(1)(जी)-हरियाणा चावल खरीद (लेवी) तीसरा संशोधन आदेश, 1988-खंड 3(सी)-चावल मिल मालिकों को कुल मात्रा में से 75 प्रतिशत की सीमा तक लेवी चावल सरकार को देना होगा खरीदे गए या अधिग्रहीत चावल की संख्या - डीलरों / मिल मालिकों के पास छोड़े गए चावल की किस्म का चयन - ऐसा आदेश - चाहे कला का उल्लंघन हो। 14 और 19(1)(जी).

यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा स्टॉक में रखे गए चावल को विभाग को बेचने की कोई तत्काल बाध्यता नहीं है, क्योंकि उप खंड (सी) रिलीज वाल्व है जो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि चावल की कुल मात्रा में से। विशिष्टताओं के अनुरूप, उनके द्वारा खरीदी गई या अन्यथा अर्जित की गई, 75 प्रतिशत लेवी में दी जानी है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। दूसरे शब्दों में, उनके द्वारा खरीदे या अर्जित किए गए चावल की कुल मात्रा में से, चाहे चावल की किस्म कुछ भी हो, उन्हें 75 प्रतिशत की सीमा तक लेवी चावल सरकार को देना होता है। और ऑफर में विकल्प पूरी तरह से डीलरों/मिलर्स पर छोड़ दिया गया है। डीलर को बस इतना करना है कि वह अपना स्टॉक हासिल कर ले और विनिर्देशों के अनुरूप 75 प्रतिशत चावल दे दे। समायोजन के लिए नियंत्रण आदेश के प्रावधानों में एक अंतर्निहित सुरक्षा उपाय है।

(पैरा 5).

माना गया कि याचिकाकर्ताओं के किसी मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है और न ही विवादित आदेश अनुचित या मनमाना है। इसमें यहां-वहां कुछ समायोजन की आवश्यकता है और इस संबंध में व्यापार विवेकपूर्ण होने की उम्मीद है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय निम्नलिखित जारी करने की कृपा करे: -

(मैं)

हरियाणा चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1985 को अद्यतित रूप से संशोधित घोषित करते हुए परमादेश की एक रिट को शून्य, अमान्य, असंवैधानिक घोषित किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और 1976 के अधिनियम संख्या 92 की धारा 3 (3 बी) में संशोधन करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(एल)(जी), 31 और 301 को असंवैधानिक।

(ii) हरियाणा चावल खरीद (लेवी) तृतीय संशोधन आदेश, 1988 के खंड 3(ए) को रद्द करने वाला परमादेश/उत्प्रेषण रिट।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय प्राकृतिक न्याय के लिए मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

(iv) इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी जाए

(v) प्रस्ताव की सूचना और अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों की सेवा से छूट।

आगे प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय 22 सितंबर के लागू तीसरे संशोधन आदेश, 1988 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की कृपा करेगा। 1988 हरियाणा सरकार द्वारा पारित किया गया और

याचिकाकर्ताओं को किसी भी नियम और शर्तों पर देश भर में उनके लिए उपलब्ध किसी भी कीमत पर बाजार में अपने स्टॉक बेचने की अनुमति दें, जैसा कि माननीय न्यायालय प्राकृतिक न्याय के हित में उचित समझे।

बी.एस. मलिक, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए.

एस.सी. मोहंता, ए.जी. हरियाणा की सहायता एस.एस. अहलावत, डिप्टी ने की

ए.जी., हरियाणा। उत्तरदाताओं के लिए.

निर्णय

एम. एम. पुंछी, जे. (मौखिक)

(1) यह कुछ पंजीकृत डीलरों के अनुरोध पर एक याचिका है/

ricetnillers. हरियाणा चावल खरीद (लेवी), तीसरे संशोधन आदेश, 1988 को चुनौती देते हुए, हरियाणा राज्य में अपना व्यवसाय चलाना। चुनौती के तहत प्रावधान इस प्रकार है:

“3. लाइसेंस प्राप्त मिल मालिकों पर लेवी - प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त मिल मालिक खरीद अधिकारी या ऐसी एजेंसी को, जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जा सकता है, किसी भी किस्म में खरीद मूल्य

पर, विनिर्देशों के अनुरूप पचहत्तर प्रतिशत चावल वितरित करेगा। या ऐसा प्रतिशत, जो केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है: -

(ए) उसके स्वामित्व वाले विनिर्देशों के अनुरूप चावल की कुल मात्रा जो इस आदेश के प्रारंभ होने की तिथि पर स्टॉक में रखी गई है;

(बी) उसके स्वामित्व वाले या उसके द्वारा अर्जित धान के स्टॉक से प्रतिदिन उसके द्वारा पिसाई किए गए विनिर्देश के अनुरूप चावल की कुल मात्रा; और

•(सी) आदेश के खंड 9 के अनुसार उसे दिए गए रिलीज प्रमाणपत्र द्वारा कवर किए गए लेवी मुक्त चावल को छोड़कर, उसके द्वारा खरीदे गए या अन्यथा अर्जित किए गए विनिर्देश के अनुरूप चावल की कुल मात्रा:

बशर्ते कि देश से निर्यात होने वाले बासमती चावल की मात्रा को निदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेवी से छूट दी जाएगी।

(2) (ए) कोई भी मिल मालिक अपने स्टॉक में रखे धान की किसी भी मात्रा को किसी भी डीलर को नहीं बेचेगा या किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करेगा।

(बी) कोई भी मिलर संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को लिखित पूर्व सूचना दिए बिना अपने स्टॉक में रखे धान की किसी भी मात्रा को किसी भी मिलर को नहीं बेचेगा या किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करेगा। ------"

यह हमला अनुसूची III में दी गई कीमत अनुसूची पर भी है जिसे नीचे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है:

2) याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनके पास उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित पंजाब नंबर 1 के चावल और उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित बासमती का बड़ी मात्रा में स्टॉक है। चूँकि कृषि वर्ष 1987-88 में ये दोनों किस्में लेवी मुक्त थीं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्होंने इन किस्मों का धान ऊंचे दामों पर खरीदा था और मिलिंग के बाद उन्हें अधिक मुनाफे की उम्मीद थी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि अब आक्षेपित आदेश के तहत राज्य में बिक्री के लिए लाए गए धान से मिलिंग किए जाने वाले सभी गुणवत्ता वाले चावल के लिए लेवी बनाई गई है, जिससे उन्हें उक्त का 75 प्रतिशत सरकार को बेचना अनिवार्य हो गया है। उनके पास स्टॉक में रखा चावल और मिलिंग के लिए अन्य चावल और वह भी अनुसूची III में उल्लिखित कम कीमतों पर। याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुचित और अनुचित होने के अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (एल) (जी) के तहत उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों का मनमाना और उल्लंघन बताया है।

(3) हमने स्थिति स्पष्ट करने के लिए हरियाणा के महाधिवक्ता को बुलाया। वह यहां हैं और हमने उन्हें सुना है।'

(4) यह सामान्य ज्ञान है कि क्रम संख्या 3 में उल्लिखित अति उत्तम किस्में क्रम संख्या 4 में उल्लिखित बासमती चावल के लिए मिलावटी होती हैं। बाद में सुगंध को छोड़कर उनमें बासमती के सभी अनाज गुण होते हैं। मिलावटी चावल ऊंची कीमत वाले बासमती की शक्ल ले लेगा। चूंकि सुपर फाइन किस्मों में से पंजाब नंबर 1 लेवी मुक्त था, इसने अन्य गुणों की लेवी में मिलावट और चोरी में योगदान दिया। जाहिर तौर पर उस रैकेट को खत्म करने के लिए, चाहे जिस भी गुणवत्ता का चावल हो, अब लेवी के दायरे में है।

(5) विद्वान वकील को सुनने के बाद जो स्थिति उभर कर सामने आती है वह यह है कि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा स्टॉक में रखे गए चावल को विभाग को बेचने की कोई तत्काल बाध्यता नहीं है, क्योंकि उप-खंड (सी) रिलीज वाल्व है जो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा खरीदे गए या अन्यथा प्राप्त किए गए विनिर्देशों के अनुरूप चावल की कुल मात्रा में से 75 प्रतिशत लेवी में दिया जाना है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। दूसरे शब्दों में, उनके द्वारा खरीदे या अर्जित किए गए चावल की कुल मात्रा में से, चाहे चावल की किस्म कुछ भी हो, उन्हें सरकार को 75 प्रतिशत की सीमा तक लेवी चावल देना आवश्यक है और प्रस्ताव में विकल्प पूरी तरह से है। डीलरों/मिलर्स के पास छोड़ दिया गया। यदि यह लाभदायक है, तो वे क्रम संख्या 3 में उल्लिखित अति उत्तम किस्मों और क्रम संख्या 4 में उल्लिखित बासमती किस्म को अनुसूची में बनाए रख सकते हैं, जिनकी कीमत अधिक है। वे सरकार को क्रमशः क्रम संख्या 1 और 2 पर उल्लिखित चावल की कोई अन्य किस्म या चावल की अच्छी किस्म दे सकते हैं, जिनकी कीमत कम है। डीलर को बस इतना करना है कि वह अपना स्टॉक हासिल कर ले और विनिर्देशों के अनुरूप 75 प्रतिशत चावल दे दे। समायोजन के लिए नियंत्रण आदेश के प्रावधानों में एक अंतर्निहित सुरक्षा उपाय है। विभाग ने कभी भी जोर नहीं दिया है और जैसा कि हरियाणा के महाधिवक्ता ने कहा है, याचिकाकर्ता के स्टॉक से लेवी चावल की तत्काल डिलीवरी पर जोर नहीं देगा। कानून के प्रावधानों के अनुरूप अन्य खरीदे गये चावल से लेवी दी जा सकती है.

(6) अन्यथा यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1988-89 से संबंधित चावल की नई फसल बाजार में आ गई है। जैसा कि नोट 2 से अनुसूची II तक स्पष्ट है, अनुसूची में उल्लिखित कीमतें 16 सितंबर से चावल की 1988-89 की फसल पर लागू होती हैं। 1988. आक्षेपित आदेश के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को लेवी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टॉक में 75 प्रतिशत चावल तुरंत सरेंडर करना होगा। यहां तक कि लेवी दायित्व को पूरा करने के लिए उनके द्वारा नया चावल भी खरीदा या प्राप्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता चावल की नई फसल खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं जो पहले ही बाजार

में आ चुकी है और सीजन आगे बढ़ने की उम्मीद है, और बिना किसी नुकसान के कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने और 25 प्रतिशत के अपने हिस्से के हिस्से के रूप में पुराने स्टॉक को रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

(7) ऊपर जो कहा गया है, उसके लिए हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है और न ही लागू आदेश अनुचित या मनमाना है। इसमें यहां-वहां कुछ समायोजन की आवश्यकता है और इस संबंध में व्यापार विवेकपूर्ण होने की उम्मीद है।

(8) याचिकाकर्ताओं द्वारा कीमत के निर्धारण के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3बी को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस प्रकार, हम इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कहते हैं।

(9) उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका को तत्काल खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा